

प्रेस विज्ञप्ति

वर्ष 2022 के दौरान जनपद आजमगढ़ में चलाये गये पैदल गश्त/चेकिंग अभियान में 503 अभियोग पंजीकृत कर कुल 514 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

- ➡ जनपद में चलाये गये गश्त/चेकिंग अभियान के दौरान कुल 32452 स्थानों पर पैदल गश्त / चेकिंग की गयी। जिसमें कुल 251457 संदिग्ध व्यक्तियों को चेक किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान कुल 503 अभियोग पंजीकृत कर 514 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर मा० न्यायालय प्रस्तुत किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान कुल 227 अवैध शस्त्र व 21 वाहन बरामद किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान कुल 4568 ली० अवैध शराब बरामद किया गया।
- ➡ पैदल गश्त / चेकिंग अभियान के दौरान कुल 8596 अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा वर्ष 2022 में 53 अभियोग पंजीकृत करते हुए 92 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया

मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थानों पर एंटी रोमियो टीम का गठन किया गया है। जिसमें महिला पुलिसकर्मियों द्वारा लड़कियों व महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, बाजारों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर महिला व पुरुष पुलिस द्वारा गश्त कर आसपास छेड़खानी करने के संदिग्धों को सचेत किया गया।

महिला पुलिस कर्मियों ने स्कूलों में जाकर छात्राओं से वार्ता व सुरक्षा का भरोसा दिलाया व प्रदेश सरकार की ओर से जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों 1090/ 112/ 1076/ 108/ 1098 की जानकारी दी गई। इस अभियान के दौरान वर्ष 2022 में 89757 लडकों व शोहदों के अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दी गई।

महिला पुलिस कर्मियों को अपने बीच पाकर छात्राओं व महिलाओं में खुशी देखी गई। जागरूकता अभियान के दौरान महिलाओं व लड़कियों द्वारा उनके साथ सेल्फी भी ली गई।

- ➡ जनपद में कुल 27 एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया है।
- ➡ एंटी रोमियो स्क्वाड में 104 महिला/पुरुष पुलिसकर्मी नियुक्त हैं।
- ➡ अभियान के दौरान वर्ष 2022 में कुल 27939 सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कोचिंग, पार्क, शापिंग मॉल इत्यादि चेक किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान कुल 25818 व्यक्ति/युवकों/शोहदों को चेक किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान वर्ष 2022 में 53 अभियोग पंजीकृत करते हुए 92 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- ➡ अभियान के दौरान 89757 शोहदों/व्यक्तियों के अभिभावकों को बुलाकर चेतावनी दिया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

वर्ष 2022 में सोशल मीडिया पर प्राप्त 3079 जनसमस्याओं का कराया समाधान, पुलिसकर्मियों के लिए जारी हेल्पलाइन नम्बर से भी पुलिसकर्मियों की समस्याओं का हुआ समाधान

➡ जनपदीय सोशल मीडिया सेल द्वारा सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, धर्म व जाति विशेष पर आपत्तिजनक टीप्पणी करने, भड़काऊ फोटो-विडियो के आदान-प्रदान करने व राजनैतिक कमेंट के मैसेजों की निगरानी करते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया गया।

➡ इसी क्रम में सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वर्ष 2022 में ट्विटर पर 1322, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के सीयूजी पर 1757 प्राप्त जन समस्याओं को सम्बन्धित थानाप्रभारी/क्षेत्राधिकारीगण के माध्यम से निस्तारित कराया गया है।

➡ इसके साथ ही पुलिसकर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु जारी किए गए हेल्पलाइन के माध्यम से 492 पुलिसकर्मियों की समस्या का समाधान कराया गया है।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ शांतिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 01.01.2023 को व0उ0नि0 सुरेश सिंह यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग संदीग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान ओझौली तिराहे से रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी छतरपुर खुशहाल थाना जियनपुर जनपद आजमगढ़ को समय करिब 16.30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 01 अदद तमंचा 0.315 बोर व 01 अदद कारतूस 0.315 बोर और वाहन टाटा मैजिक UP50 DT 1058 बरामद हुआ। अभियुक्त द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाने के कारण वाहन को धारा 207 एम0वी0 एक्ट में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/2023 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता - रवि यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी छतरपुर खुशहाल थाना जियनपुर जिला आजमगढ़ उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी -

01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 02/2023 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 111/2016 धारा 379/411/419/420 भादवि थाना कोतवाली आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 0092/2016 धारा 41/411 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 257/2019 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 259/2019 धारा 41/411/414 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुरेश सिंह यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 लल्लन यादव मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 विद्याकांत रविन्द्र सिंह थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना - मेहनाजपुर

गैंगेस्टर एक्ट में सरगना सहित गैंग का अभ्यस्थ सदस्य गिरफ्तार

पूर्व की घटना:- अभियुक्त सूरज गुप्ता पुत्र रामसरन गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ एक संगठित गिरोह का लीडर है। जिसका सक्रिय सदस्य गोविन्द मौर्य पुत्र रामफल मौर्य निवासी पुरानी बाजार कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ है। इनके द्वारा गैंग बनाकर आर्थिक, भौतिक व सामाजिक लाभ के लिये हत्या करने जैसे जघन्य अपराध कारित करने के अभ्यस्थ अपराधी है। जिसके कारण समाज में भय व दहशत व्याप्त है। तथा इनके विरुध कोई भी व्यक्ति मुकदमा और गवाही नहीं करना चाहता है। इस गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

दिनांक 02.01.2023 को व0उ0नि0 मोतीलाल पटेल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त -1-सूरज गुप्ता पुत्र रामसरन गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़ 2-गोविन्द मौर्य पुत्र रामफल मौर्य निवासी पुरानी बाजार कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ को मेहनाजपुर बस स्टैण्ड से समय करीब 10.00 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 01/2023 मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त :-

1. सूरज गुप्ता पुत्र रामसरन गुप्ता निवासी चकिया कसरावल थाना मेंहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. गोविन्द मौर्य पुत्र रामफल मौर्य निवासी पुरानी बाजार कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास :-

अभियुक्त सूरज गुप्ता उपरोक्त

- (1) मु.अ.स. 42/2016 धारा 323,504,506,352 भा.द.वि. व 3(1)10 SC/ST एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |
- (2). मु.अ.स. 05/2022 धारा 302/201/216 IPC थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |
- (3). मु0अ0सं0 01/2023 मु0अ0स0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |

अभियुक्त गोविन्द मौर्या

मु0अ0सं0 01/2023 मु0अ0स0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

01. व0उ0नि0 मोती लाल पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |
02. का0 विकास पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |
03. का0 अनुपम पटेल थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ |

प्रेस नोट

थाना जहानागंज

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना -

दिनांक 01.01.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था। कि मेरी 15 वर्ष की लड़की को बाल अपचारी द्वारा बहला फुसलाकर अपने घर ले जाकर गलत काम किया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 04/23 धारा 363/376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

निरीक्षक विकासचन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धीत बाल अपचारी को उसके घर से समय करीब 12.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। अभिरक्षा के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशो - निर्देशो का पालन किया गया। पुलिस अभिरक्षा की सूचना मौके पर ही बाल अपचारी के परिजन को दिया गया।

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 04/23 धारा 363, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

- 1- नि0 श्री विकासचन्द्र पाण्डेय थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- का0 आलोक कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़

प्रेस नोट

थाना फूलपुर

गोवंश की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 01-01-2023 को उ0नि० विपिन कुमार सिंह मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान टेउगा नहर पुलिया से अभियुक्त अमजद खान पुत्र बहाव खान सा० करुई थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष को समय करीब 23.45 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से 01 पिकप वाहन में 03 नफर गोवंश व 01 नफर भैस को क्रूरता पूर्वक बाधा गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 05/23 धारा 3/5/ए/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशुक्रूरता अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 05/23 धारा 3/5/ए/8 गोवध निवारण अधि० व धारा 11 पशुक्रूरता अधि० थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त - अमजद खान पुत्र बहाव खान सा करुई थाना दीदारगंज जिला आजमगढ़ उम्र 21 वर्ष

बरामदगी- 01 पीकप 03 गोवश 01 भैस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि० विपिन कुमार सिंह थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
2. का विनोद यादव, थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
3. का० इरफान थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
4. का० बम्हानन्द यादव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना सिधारी

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित सरगना गिरफ्तार

अभियुक्त कमलेश यादव अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ पाने के लिये गंभीर मार-पीट, बलवा व हत्या के प्रयास जैसा जघन्य अपराध कारित करता है। इस गिरोह द्वारा किये गये अपराधों से समाज में भय व दहशत व्याप्त जिस कारण कोई भी व्यक्ति इस गिरोह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने या उनके विरुद्ध गवाही देने का साहस नहीं कर पाता। इस गिरोह की समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बनाम 1.कमलेश यादव पुत्र रामशकल यादव 2.कैलाश यादव पुत्र रामशकल यादव 3. विमलेश पुत्र रामशकल यादव निवासीगण ग्राम पल्हनी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा की जा रही थी।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 02.01.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त/ गैंग लिडर कमलेश यादव पुत्र रामशकल यादव सा0 पल्हनी थाना सिधारी आजमगढ़ को उसके घर ग्राम पल्हनी से समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर मा0न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग - मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का व नाम पता

1. कमलेश यादव पुत्र रामशकल यादव सा0 पल्हनी थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 33 वर्ष

आपराधिक इतिहास

- मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- मु.अ.स. 112/22 धारा 147/148/332/353/504/308/160/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- 113/2022 धारा 147/148/352/323/504/506/427/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 61/17 धारा 147/148/323/427/504/506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध SC/ST ACT थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- मु.अ.स. 328/17 धारा 307/323/504 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 142/21 धारा 3/25 ए एक्ट थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 1203/10 धारा 323/353/504/506/427 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 47/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 141/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना सिधारी आजमगढ़
- मु.अ.स. 341/17 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

- प्रभारी निरीक्षक नन्द कुमार तिवारी थाना सिधारी जनपद आजमगढ़
- का0 मिथिलेश कुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़
- का0 दीवानचन्द थाना सिधारी आजमगढ़
- म0का0 प्रिया सिंह थाना सिधारी जनपद आजमगढ़